14/8/17 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] उपस्थित, [illegible] वकील [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] 21/8/17 को पेश हो।

25/8/17 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] 4/9/17 को पेश हो।

4/9/17 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] 8/9/17 को पेश हो।

8/9/17 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] पर [illegible] पत्रावली का अवलोकन किया, वकील [illegible] का [illegible] क्र. 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 [illegible] नहीं होने से [illegible] जाता है [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
★ जिला-सीकर (राज.) ★

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– राहुल कुमार मल्होत्रा, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र / मु.सं.– 07 / 2024

01. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र शारदा पुत्री परमेश्वरी देवी
02. श्रीकान्त पुत्र शारदा पुत्री परमेश्वरी देवी
03. धर्मेन्द्र पुत्र शारदा पुत्री परमेश्वरी देवी
04. बबीता पुत्री शारदा पुत्री परमश्वरी देवी

समस्त जाति नाई निवासीगण सदाबहार मोहल्ला वार्ड सं. 3 मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं

– प्रार्थीगण

बनाम

01. प्रहलाद पुत्र खाजूलाल
02. श्यामलाल पुत्र खाजूलाल

समस्त जाति नाई निवासीगण वार्ड सं. 15 नगरपरिषद के पास, सीकर तहसील व जिला सीकर

03. उपपंजीयक, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर
04. तहसीलदार, सीकर ग्रामीण तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–

01. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थीगण / वादीगण की ओर से
02. श्री प्रभातीलाल, वकील अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से

–:निर्णय:–

दिनांक– 08.09.2025

वकील प्रार्थी / वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि "उपरोक्त उनवानी वाद विधिवत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थीगण को अपनी सफलता की पूर्ण आशा है। कृषि भूमि पुराना खसरा सं. 139 मिन रकबा 30 बीघा 3 बिस्वा के नवीन खसरा सं. 802 रकबा 4.5500 हेक्टेयर, खसरा सं. 777 रकबा 2.6000 हेक्टेयर, खसरा सं. 800 रकबा 0.10[illegible] किये गये, जिनमें से खसरा सं. 700 व 800 का कोई विवाद नहीं है। जमाबंदी सम्वत 2045 [illegible] 2048 में प्रार्थीगण की माता शारदा देवी की माता परमेश्वरी देवी व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के पिता खाजू पुत्र तनसुख का राजस्व रिकार्ड में खसरा सं. 802 [illegible] बरानी द्वितीय ग्राम बलरामपुरा तहसील धोद हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के राजस्व रिकार्ड में अंकित चली आ रही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की वंशावली निम्न प्रकार से है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

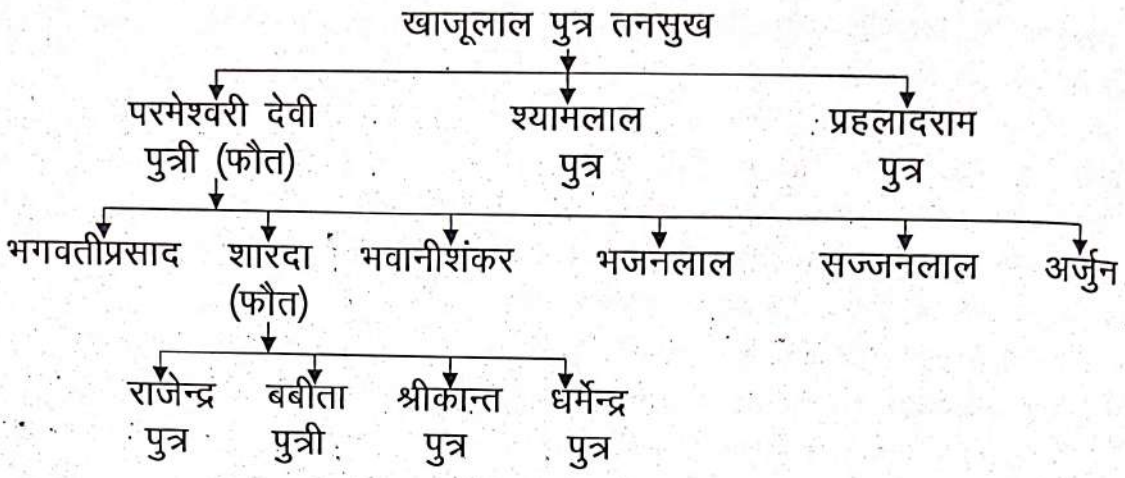

खाजूलाल पुत्र तनसुख

परमेश्वरी देवी पुत्री (फौत) | श्यामलाल पुत्र | प्रहलादराम पुत्र

भगवतीप्रसाद | शारदा (फौत) | भवानीशंकर | भजनलाल | सज्जनलाल | अर्जुन

राजेन्द्र पुत्र | बबीता पुत्री | श्रीकान्त पुत्र | धर्मेन्द्र पुत्र

उपरोक्त वंशावली के अनुसार उक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण की माता शारदा देवी की पैतृक कृषि भूमि है, जो पूर्व में प्रार्थीगण की माता शारदा देवी की माता परमेश्वरी देवी को अपने पिता खाजूलाल पुत्र तनसुख से विरासतन प्राप्त हुई है, जिसमें से परमेश्वरी के 3 बीघा 13 बिस्वा में से 16 बिस्वा भूमि का सम्मोचन प्रलेख प्रार्थीगण की माता शारदा देवी के मामाओं अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने परमेश्वरी देवी की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाकर तथा अन्य किसी बहाने से उपपंजीयक कार्यालय, सीकर के यहां प्रार्थीगण की माता की बिना जानकारी में लाये बिना ही दिनांक 19.05.2014 को सम्मोचन प्रलेख पंजीबद्ध किया गया, जो अवैध, शून्य एंवं प्रभावहीन है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण की नानी की वृद्धावस्था तथा अनपढ़ होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थीगण की माता की जानकारी में लाये बिना तथा पारिवारिक झगड़े को बढाने के लिए अपने पक्ष में सम्मोचन प्रलेख निष्पादित एवम पंजीबद्ध करवया गया है, जो प्रार्थीगण के हक हिस्से तक कल अदम व बेअसर है। सम्मोचन प्रलेख के तहत न तो अप्रार्थी सं. 1 व 2 किसी प्रकार का कोई कब्जा सम्भलाया गया है तथा ना ही कब्जा सम्भलाया जाना संभव था, कब्जे के अभाव में तथा भाईयों द्वारा अपनी बहिन के वारिसों के हक हिस्से को दरकिनार करते हुए तथा प्रार्थीगण के हक हिस्से को हड़पने की दुर्भावना से सम्मोचन प्रलेख करवाया गया है जो कानूनन कल अदम व बेअसर है। सम्मोचन प्रलेख में वर्णित भूमि सम्मोचनकर्तागण की पैतृक भूमि होने के कारण अप्रार्थीगण को अपनी बहिन का हकहिस्सा अपने अकेले के नाम सम्मोचन करवाने का कोई हक, अधिकार हासिल नहीं है। संपति अंतरण अधिनियम की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार वही व्यक्ति संपति का अंतरण कर सकता है, जिसका वह हकदार हो। किन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थीगण की नानी से सम्मोचन प्रलेख अपने हिस्से से अधिक भूमि का सम्मोचन निष्पादित करवाने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण सम्मोचन पत्र बिना कब्जा, बिना हक, अधिकार के होने के कारण प्रारम्भः से ही अवैध शून्य एवं प्रभावहीन है। उपरोक्त कारणों से सम्मोचन प्रलेख दिनांकित 19.05.2014 प्रार्थीगण के हक हिस्से तक कल अदम व अवैध शून्य घोषित किये जाने योग्य है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी पैतृक हक हिस्सा होने के कारण प्रार्थीगण 16 बिस्वा भूमि में से 1/4 हक हिस्से की उद्घोषणा करवाने के अधिकारी है। न्यायहित में प्रार्थीगण को 16 बिस्वा भूमि में से संयुक्त रूप से 1/4 हक हिस्से का काबिज खातेदार उद्घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया जाना उचित व आवश्यक है। तदहेतु प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण को उक्त सम्मोचन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद जिला-सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

प्रलेख के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। दिनांक 08.08.2023 को प्रार्थीगण अपने शेष हक हिस्से की भूमि की सार सम्भाल करने गये हुए थे तो अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 भी वहां पर आये तथा प्रार्थीगण को यह धमकी दी कि आप लोगों का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। हमने तुम्हारी नानी से कई वर्षों पहले ही सम्मोचन प्रलेख करवा लिया है। इस पर जानकारी करके विक्रय–पत्र की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई। इसके पश्चात् परिवारजन व रिश्तेदारों को इकटठा करके समझाईश की कोशिश की गई, अप्रार्थीगण ने अपनी गलती मानकर खातेदारी प्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार करवाने का आश्वासन देकर समय निकालते रहे तथा 4 दिन पूर्व खातेदारी उनके हिस्से अनुसार प्रार्थीगण के नाम करवाने से इंकार होने के कारण प्रार्थीगण की ओर से माननीय न्यायालय के समक्ष वाद बाबत उदघोषणा का प्रस्तुत किया जा रहा है। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3 सम्मोचन प्रलेख के आधार पर भूमि को पुनः विक्रय व हस्तांतरित करने प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अपनी उक्त कुचेष्टा के क्रम में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 अपने हक हिस्से एवं प्रार्थीगण की नानी द्वारा गलत रूप से करवाये गये सम्मोचन प्रलेख में निहित 16 बिस्वा भूमि को भी सम्मिलित करते हुए भूमाफिया गिरोह के व्यक्तियों को दिनांक 19.09.2023 को मौके पर लेकर आये तथा विक्रय का सौदा करने लगे। यदि अप्रार्थीगणं सं. 1 व 2 अपनी अनुचित व अवैध कार्यवाही में सफल हो गये तो प्रार्थीगण की अपार क्षति होगी। न्यायहित में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की अनुचित कार्यवाही को रोकने के लिए उन्हे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित व आवश्यक है। प्रार्थीगण का प्रबल प्राईमाफेसाई केस है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः निवेदन है कि आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वर्णित भूमि खसरा सं. 802 रकबा 3.9000 हेक्टेयर वाके ग्राम बलरामपुरा हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर को किसी भी रूप में विक्रय व हस्तांतरित करने, प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग में बाधा डालने, कच्चा पक्का निर्माण करने भूमि को वेस्ट डेमेज व एलाईनेट करने से बाज रहे तथा विवादित भूमि की मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखी जावें।''

आवेदन पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 3 व 4 पर विधिवत तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से तामील पूर्ण हो चुकी है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से श्री प्रभातीलाल, एड. ने मदवार जवाब पेश किया, जिसमें सारतः उल्लेखित किया गया कि ''मद सं. 1 में माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत किया जाना स्वीकार है। शेष इबारत जिस प्रकार से तहरीर है गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में ठोस आधार नहीं है। इसलिए उनके द्वारा सफलता की आशा करना दुराशा मात्र है। मद सं. 2 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। खसरा सं. 802 रकबा 4.9500 हेक्टेयर, वर्तमान में अस्तित्व में ही नहीं है बल्कि मूल खसरा सं. 802 राजस्व ग्राम बलरामपुरा तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर का विभाजित खसरा सं. 1313/802 रकबा 1.0828 हेक्टेयर, खसरा सं. 1314/802 रकबा [illegible] हेक्टेयर, खसरा सं. 1315/802 रकबा 0.7200 हेक्टेयर, खसरा सं. 1316/802 रकबा 0.6444 हेक्टेयर, खसरा सं. 1317/802 रकबा 0.3400 हेक्टेयर, खसरा सं. 1318/802 रकबा 0.0300 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है। खसरा सं. 802 का क्षेत्रफल 3.90 हेक्टेयर था, जिसे 4.5500 हेक्टेयर गलत रूप से अंकित किया है एवं खसरा सं. 700 व 800 का कोई विवाद नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:28:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

होना इस में अंकित किया है। दूसरी तरफ इसी मद में खसरा सं. 802, 777, 800 अंकित करके पुराना खसरा सं. 139 से बनाया जाना अंकित किया है ना तो अन्य खसरा नम्बरान में विवाद है, ना ही मूल खसरा सं. 802 का विवाद है। बल्कि प्रार्थीगण ने विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए मन में बेईमानी आ जाने के कारण यह मिथ्या आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 3 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी ने सोलह बिस्वा कृषि भूमि के समोचन पत्र को, परमेश्वरी देवी के वृद्धावस्था का फायदा उठाकर दिनांक 19.05.2014 को पंजीकृत करवाने के मिथ्या कथनों के आधार पर राजस्व न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। यदि किसी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करके अर्थात् अन्य किसी बहाने से अंतरण प्रलेख पंजीकृत करवाने का आक्षेप लगाकर वाद प्रस्तुत किया जावे एवं संपदा कृषि भूमि हो तो भी उसके विरूद्ध वाद पत्र राजस्व न्यायालय में मेन्टनेबल ही नहीं होता है, ना ही अंतरण प्रलेख के पक्षकार के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को इस प्रकार का आक्षेप लगाने का अधिकार होता है। इसके अलावा इस मद में अंकित वंशावली का अवलोकन किया जावें तो प्रार्थीगण ने अपने आपको शारदा की पुत्र पुत्रियां होना अंकित किया है एवं पंजीकृत समोचन–पत्र को चुनौतीग्रस्त किया है एवं उक्त समोचन–पत्र वर्ष 2014 का है जिसे अर्सा करीब 10 वर्ष पश्चात परमेश्वरी देवी एवं शारदा देवी की मृत्यु होने के पश्चात् चुनौतीग्रस्त किया है, जिसको चुनौती देने का प्रार्थी को कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं है, ना ही समोचन–पत्र परमेश्वरी देवी की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाने की गरज से अन्य किसी बहाने से उपपंजीयक कार्यालय के यहां निष्पादित व पंजीकृत करवाया था। बल्कि उक्त समोचन–पत्र परमेश्वरी देवी ने अपने भाई प्रहलाद व श्यामलाल के पक्ष में स्वस्थचित से स्वतंत्र मन से निष्पादित व पंजीकृत करवाया था, जो कि वैध व प्रभावी दस्तावेज है। इसलिए आवेदन पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।. मद सं. (क) जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा अंकित किये गये तथ्यों के अनुसार यह वाद पत्र भारी हर्जा लगाकर खारिज किया जाने योग्य है। क्योंकि प्रार्थीगण ने कपटपूर्वक कथन अंकित किये है। वादग्रस्त कृषि भूमि का उक्त समोचन–पत्र निष्पादित व पंजीकृत होने के पश्चात् उक्त हकत्याग विलेख के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 802 रकबा 3.9000 हेक्टेयर का सभी खातेदारान के मध्य वर्ष 2015 में आपसी सहमति से विभाजन किया था, जिसमें परमेश्वरी देवी पुत्री खाजूलाल भी पक्षकार थी, जिसके हिस्सा में उक्त 16 बिस्वा भूमि के समोचन के पश्चात विभाजित खसरा सं. 1315/802 रकबा 0.7200 हेक्टेयर भूमि हिस्सा में आयी थी एवं उक्त परमेश्वरी देवी ने पुत्री शारदा देवी तथा भगवती प्रसाद, भवानी शंकर, भजनलाल, सज्जन कुमार, अर्जुनलाल पुत्रगण परमेश्वरी देवी व रोशनलाल सभी की उपस्थिति में उक्त खसरा सं. 1315/802 रकबा 0.7200 हेक्टेयर का विक्रय–पत्र सुनील कुमार पुत्र परमश्वरलाल जाति ... मैदान सीकर को बेचान करके दिनांक 25.01.2016 को विक्रय पत्र पंजी... ाया था, जिसके दोहितागणों को इस प्रकार का वाद–पत्र प्रस्तुत ... देता है। इसलिए आवेदन–पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय ... जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी सं. ... परमेश्वरी देवी ने समोचन–पत्र निष्पादित व पंजीकृत करवाने से पूर्व कब्जा संभला दिया था। प्रार्थीगण ने सर्वथा मिथ्या आक्षेप लगाकर वाद–पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए आवेदन–पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. (ग) जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने यह वाद–पत्र प्रस्तुत करके सारी हदे पार की है, जिसका उदाहरण यह है कि इस मद में अपने आपको

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला सीकर (राज.)
उपखण्ड अधिकारी

समोचनकर्ता बताकर अपनी पैतृक भूमि होना अंकित किया है। जबकि प्रार्थीगण किस प्रकार से समोचनकर्तागण है एवं किस प्रकार से खसरा सं. 802 की भूमि उनकी पैतृक कृषि भूमि है यह समझ से परे है क्योंकि परमेश्वरी देवी हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार उक्त समोचन–पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पूर्ण स्वामिनी थी। जिसने अपने जीवनकाल में जरिए समोचन–पत्र के द्वारा सोलह बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 को पंजीकृत अंतरण प्रलेख से देकर कब्जा संभला दिया था एवं शेष रही अपने हिस्सा की कृषि भूमि का आपसी सहमति से अन्य खातेदारान से विभाजन करवाकर प्रार्थीगण की माता की उपस्थिति में बेचान कर दिया था। फिर भी दुर्भावना से एवं लालच के वशीभूत होकर अप्रार्थी सं. 1 व 2 को नुकसान पहुंचाने की गरज से एवं तंग करके अन्यथा लाभ अर्जित करने के कुउद्देश्य से यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज किया जाना व मिथ्या आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के कारण अप्रार्थी सं. 1 व 2 को पहुंचायी गयी मानसिक परेशानी एवं आर्थिक नुकसान की पूर्ति के लिए 50,000 रूपये अप्रार्थी सं. 1 व 2 को प्रार्थीगण से दिलवाया जाना प्रार्थनीय है। मद सं.(घ) जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने इस मद में धारा 7 सम्पति अंतरण अधिनियम का अवलम्ब भी लिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण कानूनी प्रावधानों की पूर्णतया जानकारी रखते है एवं सम्पति अंतरण की धारा 7 के प्रावधान उस व्यक्ति को सम्पति अंतरण करने का अधिकार देते है, जो उस सम्पति का हकदार हो। इन कानूनी प्रावधानों के मध्यनजर चुनौतीग्रस्त समोचन–पत्र का अवलोकन किया जावे तो परमेश्वरी देवी उक्त सोलह बिस्वा भूमि का अंतरण प्रलेख निष्पादित व पंजीकृत करवाने की पूर्णतया हकदार थी। जिसके संबंध में यह वाद–पत्र प्रस्तुत करने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी यह वाद–पत्र माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है एवं जबाबदातागण को तंग व परेशान किया है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हित निहित नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 4 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण उक्त परमेश्वरी देवी की पुत्री शारदा देवी के पुत्र पुत्रियां है, जिनको अथवा शारदा देवी को उक्त परमेश्वरी देवी के जीवनकाल में परमेश्वरी देवी की संपदा में हक हिस्सा होने अथवा उक्त संपदा को प्रार्थीगण के पैतृक हक हिस्सा की मान्य किया जाने का भारत देश में कानून विधायिका द्वारा नहीं बनाया हुआ है। प्रार्थीगण ने किस विधि का अवलम्ब लेकर यह वाद पत्र पेश किया है यह समझ से परे है। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 का शीर्षक देकर वाद–पत्र प्रस्तुत करने से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय हाजा को भी चकमा देने का कुप्रयास किया है। प्रार्थीगण को राजस्व न्यायालय के समक्ष यह आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार किसी भी विधि के तहत उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए आवेदन–पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 5 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण इस मद में दिनांक [illegible] को वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा सं. 802 की सार संभाल करने के लिए जाने [illegible] सं. 1 व 2 द्वारा धमकी देने के कथन अंकित करके समोचन–पत्र [illegible] जानकारी होने पर नकल प्राप्त करने व परिजनों की समझाइश करने के [illegible] मिथ्या कथन अंकित किये है क्योंकि दिनांक 08.08.2023 के [illegible] ही खसरा सं. 802 का अस्तित्व समाप्त होकर विभाजित खसरा नम्बरान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुके है एवं उक्त परमेश्वरी देवी विभजित खसरा सं. 1315/802 रकबा 0.7200 हेक्टेयर दर्ज होने के पश्चात् प्रार्थीगण की माता शारदा देवी व अन्य की उपस्थिति में दिनांक 22.01.2016 को अपनी संपूर्ण कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

का विक्रय–पत्र पंजीकृत करवा चुकी थी। जिस पर प्रार्थीगण का कोई आक्षेप नहीं है। फिर भी प्रार्थीगण ने उदघोषणा का यह आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है, जो कि खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 6 जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस मद में अंकित तथ्यों के संबंध में व्याख्या करने के लिए जबाबदातागण के पास कोई शब्द नहीं बन पा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह वाद–पत्र विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की एक तरह से पराकाष्ठा है। प्रार्थीगण ने इस मद में दिनांक 19.09.2023 को अप्रार्थी सं. 1 ता 3 द्वारा समोचन–पत्र के आधर पर पुनः विक्रय व स्थानान्तरित करने, प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा होने जैसे कथन अंकित किये है एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कथन अनुचित रूप से अंकित किये है। इस मद में अंकित अप्रार्थी सं. 3 उपपंजीयक है, वह किस प्रकार से संपदा को अंतरित करने पर आमादा है। यह भी समझ से परे है तथा इस मद में अपनी नानी परमश्वरी पर भी गलत रूप से समोचन–पत्र निष्पादित करने का आरोप लगा दिया जबकि उक्त संपदा का खसरा सं. 802 ना तो अस्तित्व में रहा है, ना ही प्रार्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। इसलिए आवेदन–पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 7 जिसे 6 अंकित किया है, जिस प्रकार से तहरीर है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या मामला सुदृढ़ नहीं है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। मद सं. 8 कानूनी होने से जवाब के मोहताज नहीं है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज किया जाने की कृपा करें।''

बहस उभयपक्ष के अभिभाषकगण से सुनी गई। वकील प्रार्थीगण/वादीगण ने आवेदन के तथ्यों को ही बहस के दौरान दोहराते हुये प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने अपने जवाब आवेदन में दर्ज कथनों को बहस के दौरान दोहराकर प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन खारिज करने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। टी. आई. के आवेदन में तीन बिंदुओं का विवेचन आवश्यक है–

<u>(A) प्रथम दृष्ट्या मामला–</u> पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वाके तत्कालीन ग्राम कंवरपुरा के आराजी खसरा सं. 802, जो कि हाल ग्राम बलरामपुरा पटवार हल्का कंवरपुरा हाल तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर में अवस्थित आराजियात खसरा सं. 1313/802 रकबा 1.0828 हेक्टेयर किस्म बारानी–2, जो कि किशनलाल पुत्र प्रंहलादराय (अप्रार्थी सं. 1) के नाम खातेदारी दर्ज है, खसरा सं. 1314/802 रकबा 1.0828 हेक्टेयर किस्म बारानी–2, जो कि श्यामलाल (अप्रार्थी सं. 2) पुत्र खाजूलाल के नाम खातेदारी दर्ज है, खसरा सं. 1318/802 रकबा 0.0300 हेक्टेयर किस्म बारानी–2, जो कि गिरधारीलाल पुत्र सेवाराम के नाम खातेदारी दर्ज है, खसरा सं. 1315/802 रकबा 0.7200 हेक्टेयर किस्म संस्थानिक प्रयोजन, खसरा सं. 1316/802 रकबा 0.6444 हेक्टेयर किस्म संस्थानिक प्रयोजन, खसरा सं. 1317/802 रकबा 0.3400 हेक्टेयर किस्म संस्थानिक प्रयोजन (उक्त तीनों खसरे नगर सुधार न्यास सीकर हिस्सा पूर्ण राजकीय विभागों के नाम अंकित दर्ज है) वादीगण/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत आवेदन से संबंधित मूल वाद में वर्णित आराजियात में अपने आपको परमेश्वरी (फौत) की पुत्री शारदा(फौत) के वारिसान बताये जाकर उक्त के संबंध में उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है और साथ ही हस्तगत आवेदन में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला–सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

वादीगण/प्रार्थीगण ने वर्णित जमाबंदियों में रिकॉर्डेड खातेदारान अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाने का मुख्य अनुतोष चाहा है। जबकि प्रकरण में मुख्य आपत्तिकर्ता अर्थात् वकील अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 ने उक्त आवेदन के तथ्यों का खंडन करते हुये अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन में उक्त वर्णित आराजियात के बाबत वर्णित खसरा वर्तमान में अस्तित्व में न होकर विभाजित होकर भूमियां खातेदारी में तथा शेष भूमियां नगर सुधार न्यास, सीकर के नाम दर्ज होना बताया है। इसी प्रकार से प्रकरण में वर्णित एक सम्मोचन–पत्र को आधार बना कर दावा हस्तगत टी.आई. आवेदन पेश किया है। उक्त वर्णित विवादित राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि वर्तमान में कुछ खसरों की खातेदारी अप्रार्थीगण सं. 1 के पुत्र किशनलाल के नाम, अप्रार्थीगण सं. 2 स्वयं के नाम, एक अन्य खातेदार गिरधारीलाल पुत्र सेवाराम (जो कि प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं है) तथा शेष भूमियां नगर सुधार न्यास, सीकर के नाम दर्ज है। अतः प्रकरण की इस स्टेज पर यदि वर्णित आराजियात के संबंध में जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है, तो वाद बहुलता अप्रार्थीगणों को होगी। इसलिए प्रकरण की इस स्टेज पर प्रार्थीगण/वादीगण का हस्तगत आवेदन अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार से प्रार्थीगण/वादीगण ने अपने समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत आदि पेश नहीं किंये हैं, जिससे उनके टी. आई आवेदन का पक्ष मजबूत हों। बिना किसी ठोस कारण तथा दस्तावेजात/साक्ष्य/सबूत आदि के हस्तगत आवेदन मूल वाद के साथ तथा टी.आई. आवेदन दायर किया, जिस कारण अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित करवाकर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के खातेदारी अधिकारों से वंचित करने की मंशा जाहिर होती हैं। इसलिए प्रार्थीगण/वादीगण का विवादित भूमियों में प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं बनता है। उक्त स्थिति के आलोक में तथ्यों के अनुसार विवादित भूमियों में प्रार्थीगण/वादीगण का मामला भी प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नहीं है।

(B) सुविधा का संतुलन– प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में नहीं है।

(C) अपूरणीय क्षति– अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खातेदारान दर्ज है। इसलिए यदि रिकॉर्डेड खातेदारान के विरूद्ध इस स्टेज पर कोई टी.आई. जारी की जाती है, तो अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए यह बिंदु भी प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार उक्त तीनों बिन्दु प्रार्थीगण/वादीगण के पक्ष में प्रमाणित नहीं है। इसलिए प्रार्थी का हस्तगत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थीगण/वादीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 साबित न[illegible] के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील संलग्न [illegible]हें।

यह निर्णय आज दिन[illegible] को [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.09.17 17:23:41 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.) ★

(राहुल कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी,
धोद जिला सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर